न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

अपील संख्या 77 / 2018

1. गोविन्द पुत्र स्व. हीरालाल जाति माली निवासी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. सुभाष पुत्र स्व. हीरालाल जाति माली निवासी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
3. श्रीमति रूकमा देवी स्त्री स्व. हीरालाल जाति माली निवासी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
4. सुरजमल पुत्र गोरूराम जाति माली निवासी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
5. बजरंगलाल पुत्र गोरूराम जाति माली निवासी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति धापा देवी स्त्री स्व. केशर जाति माली निवासी ढाणी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. रोहिताष पुत्र स्व. केशर जाति माली निवासी ढाणी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
3. अजीत सिंह पुत्र स्व. केशर जाति माली निवासी ढाणी झेरेवाली तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनू।
4. तहसीलदार झुंझुनू।
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1436 वाके ग्राम बगड़ दिनांक 02.05.2018

––

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिहं एडवोकेट, अपीलांटस की ओर से।
2. श्री मो. अनीश एडवोकेट, अनुपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से

आदेश

दिनांक 04.07.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के आदेश दिनांक 02.05.2018 नामान्तरकरण संख्या 1436 वाके ग्राम बगड़ के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व 96 सी.पी.सी. के प्रस्तुत की

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 व 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 व 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाते है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट्स के अनुसार निम्नानुसार है :– आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1436 वाके ग्राम बगड़ दिनांक 02.05.2018 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष लम्बित उक्त दावा मु.न. 192/16 (108/97,207/2000) में रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 3 के पति व पिता केशर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त दावा में दर्ज तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पिता व पति स्व. हीरालाल , अपीलान्ट नम्बर 4, 5 व स्वयं की कोटीनेन्सी की भूमि होना स्वीकार करते हुये विवादित जमीन में उक्त स्व. हीरालाल, अपीलान्ट नम्बर 4, 5 व स्वयं का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार करते हुये अपनी ओर से ईकबाली जबाब दावा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 अपने पिता व पति स्व. केशर की स्वीकारोक्ति से बाध्य है जिसके अनुसार विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट को नुकशान पहुंचाने के आशय से सम्पूर्ण खाते की जमीन को रेस्पोडन्ट नम्बर 5 के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है। जिसका कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 के समक्ष झूठे तथ्य बताकर ऋण सुविधा प्राप्त कर विवादित जमीन को बिना अधिकार के गिरवी रख दिया। दावा के लम्बित रहने के दौरान विवादित सम्पति को रहन, बय आदि प्रकार से अन्तरित किया जाना अवैध है जो Doctorine of lis-P-endance के सिद्धान्त से हिट होने से इस प्रकार के अन्तरण को अवैध माना गया है। उक्त अनुसार विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी हीरालाल वगैरह बनाम बुद्धराम वगैरह मु.न. 192/16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में विचाराधीन है। उक्त दावा में पक्षकारान के मध्य विवादित जमीन के सम्बन्ध में हक अधिकार अंतिम रूप से तय होंगे। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदारी की जमीन के बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना कानून से निषेध है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित जमीन का राजस्व अभिलेख दावा करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पिता व पति केशर के नाम से दर्ज रहा। दावा के लम्बित रहने के दोरान उक्त केशर का देहान्त हो गया तब इस जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण उक्त केशर के स्थान पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व मु.तीजा के नाम से तस्दीक कर दिया जो भी कानून से उक्त अनुसार गलत तस्दीक हुआ। अपीलान्टस को इस बाबत पता चलने पर यह सोचकर इसे चुनौती नहीं दी कि उक्त केशर की फोतगी का नामान्तरकरण है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त केशर के स्थान पर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 का नाम गलत दर्ज हो गया। उसी गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 से विवादित जमीन पर ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर विवादित जमीन को रहन रखकर इस भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1436 बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 गलत दर्ज करवाया जबकि विवादित जमीन के बाबत दावा के लम्बित रहने नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए कार्यवाही किया जाना कानून से निषेध है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 द्वारा विवादित नामान्तरकरण गलत कानून के विरूद्ध तस्दीक किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1436 वाके ग्राम बगड़ दिनांक

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

02.05.2018 को अवैध होने से निरस्त फरमाया जावे व नामान्तरकरण की कार्यवाही दावा के निर्णय के अनुसार किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान नजीरों 1995 आर.आर.डी. पेज संख्या 120, 1998 आर.आर.डी. पेज संख्या 368, 1998 आर.आर.डी. पेज संख्या 370 तथा 2012(1) आर.आर.टी. पेज संख्या 520 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत नही है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1436 आदेश दिनांक 02.05.2018 नियम विरूद्ध है क्योंकि उक्त आदेश के दौरान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा था। अदालत मातहत ने उक्त वाद की जानकारी के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1436 पर पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रहननामा के अनुसार नामान्तकरण स0 1436 पर दिनांक 02.05.2018 को आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस तथा प्रस्तुत नजीरों पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य तो साफ है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1436 दर्ज किये जाने के दौरान उक्त भूमि के विरूद्ध पक्षकारन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां विचाराधीन चल रहा था। कानून किसी वाद के लम्बित रहने के दौरान यदि कोई नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो वह विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। न्यायालय की दृष्टि में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है एवं अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1436 पर पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 निरस्त किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू